



जिल्हा परिषद रत्नागिरी

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवन.

माळनाका रत्नागिरी ४१५६१२

सामान्य प्रशासन विभाग



दूरध्वनी क्र.: ०२३५२/२२२४२८

ईमेल आय डी -: dyceogad08@gmail.com

जा.क्र. रजिप/साप्रवि/लेखा-२/वैद्यकीय देयक/२८३६ /२०२३ दिनांक :- २३ /०६/२०२३

- वाचा-**
- महा. शास, सार्व. आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. एमएजी-२००५/प्रक्र-१/आरोग्य-३, दि. १९ मार्च, २००५.
 - महा. शास, सार्व आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. वैखप्र-२०११/प्रक्र-३३३/११/ राकावि-२, दि. १६ नोव्हें २०११.
 - महा. शास., सार्व. आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. वैखप्र-२०१६/प्रक्र-१६/२०१६/राकावि-२, दि. १६ मार्च १६
 - सामान्य प्रशासन विभागाकडील अधिकार प्रदान मंजूर टिप्पणी दिनांक २४.०२.२०२३.
 - महा. शास., प्रा. वि. विभाग, शासन निर्णय क्रमांक वैप्रवि-६२१८/प्र.क्र.१३४/आस्था-७/दिनांक २४ मे २०१८.
 - महा. शासन, सार्व. आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांक वैखप्र-२२/प्र.क्र.३५/राकावी-२, दिनांक १९ जुलै, २०२२.
 - महा. शासन, सार्व. आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. वैखप्र-२०२२/प्र.क्र.१२०/राकावी-२/, दि. १७ जानेवारी २०२३.


आदेश

उपरोक्त संदर्भात पत्र क्रमांक ४ अन्वये मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद रत्नागिरी यांनी केलेल्या अधिकार प्रदानानुसार गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती मंडणगड या शाखेतील श्री/श्रीमती दत्तात्रय विश्वासराव जगताप पदनाम विस्तार अधिकारी (सां.) यांचा स्वतःचे आजारपणावर शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक एमएजी-२००५/९/प्रक्र-१/आरोग्य-३, दिनांक १९.३.२००५ मध्ये नमूद केलेल्या आजार हा परिशिष्ट अ. क्र. १३ या आजारासंबंधी डॉ. संतोष तुपडीकर, केयर मल्टीस्पेशालीटी हॉस्पिटल लातूर या शासकीय/शासनमान्य/खाजगी रुग्णालयात बाह्य/आंतररुग्ण म्हणून दिनांक १८.०४.२०२० ते दिनांक १९.०४.२०२० पर्यंत करण्यात आलेल्या उपचारावरील झालेल्या वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीस खालील तपशिलाप्रमाणे मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे.

| अ.क्र. | तपशील | एकूण खर्च | | |
|--------|---|----------------|--------------------------------|-----------|
| (१) | (२) | (३) | | |
| १. | एकूण खर्च | २५०००/- | | |
| २. | ना- देय खर्च (सुट व औषध) | - | | |
| ३. | प्रत्यक्ष खर्च (१-२) | २५०००/- | | |
| ४. | प्रत्यक्ष खर्चापैकी वास्तव्याचा खर्च (Bed Charges) | १०००/- | | |
| ५. | प्रत्यक्ष खर्चापैकी औषधोपचाराचा खर्च (३-४) | २४०००/- | | |
| ६. | औषधोपचारासाठी अनुज्ञेय खर्चाचे प्रमाण इ.(औषधोपचारावरील प्रत्यक्ष खर्चापैकी प्रतिपूर्तीचे प्रमाण ९०%)(शासनमान्य रुग्णालयातील खर्चाची १००% प्रतिपूर्ती) | २१६००/- | | |
| ७. | रुग्णालयात वास्तव्याचे दिवस | २ | | |
| ८. | वास्तव्यासाठी केलेला खर्च | १०००/- | | |
| ९. | रुग्णालयातील वास्तव्यासाठी अनुज्ञेय खर्चाचे प्रमाण - | ७५% | | |
| अ.क्र. | वास्तव्याचा प्रकार | प्रत्यक्ष खर्च | अनुज्ञेय रक्कम | देय रक्कम |
| त्र) | जनरल वॉर्ड (सर्वसामान्य कक्ष) | | ९५% | - |
| ल) | जनरल वॉर्डच्या (सर्वसामान्य कक्षाच्या) बाजूचा बाथरूम नसलेला कक्ष | | ९०% | - |
| ऐ) | बाथरूमसह स्वतंत्र कक्ष | | ७५% | - |
| ऐ) | बाथरूमसह डबलबेड कक्ष | १०००/- | ७५% | ७५०/- |
| ए) | बाथरूमसह वातानुकूलित कक्ष (विमान प्रवास सवलत अनुज्ञेय असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी) | | ७५% | - |
| ऐ) | अतिदक्षता कक्ष | | १००% | - |
| | | | वास्तव्यापोटी एकूण देय रक्कम = | ७५०/- |
| १०. | एकूण देय खर्च (६ + ९) | | | २२३५०/- |

उपरोक्त खर्च रक्कम रुपये २२,३५०/- (अक्षरी रक्कम रु.बावीस हजार तीनशे पन्नास मात्र) तसेच सदर कर्मचा-याचे वेतन ज्या लेखाशिर्षाखाली खर्च पडते त्या लेखाशिर्षाखाली खर्चा टाकण्यात यावा. तसेच सदरचा खर्च हा सन २०२३/२०२४ या वित्तीय वर्षातील तरतूदीतून भागविण्यात यावा.

सदरचा आदेश रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या <https://www.zpratnagiri.org> या संकेत स्थळावर उपलब्ध करणेत आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०६२३९१२८ असा आहे.


उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (साप्रवि)
जिल्हा परिषद रत्नागिरी

प्रत:- १) श्री.दत्तात्रय विश्वासराव जगताप, विस्तार अधिकारी (सां.) यांना कार्यालयामार्फत.

प्रत:- २) गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती मंडणगड यांजकडे कार्यवाहीसाठी.